

18/3/2022

कापानी वेब डी/ एलिवेबल उम्मीद  
उपलब्ध। वहा प्राणी का इन्तगत  
धारा 10 CPE उपहित धारा 15। CPE  
उमय पशु सुनी गयी। प्रकृत प्रबेण पत्र  
एव प्रबेण पत्र 68/2019 अमान विषय  
वस्तु एव अमान पशुकार होने से प्रबेण  
पत्र धारा 10 सी. सी. लपिध धारा 15। CPE  
स्वीकार ~~योग्य~~ होने से स्वीकार

2019  
08071

किया जाता है। प्रकृत प्रबेण पत्र 25/2019  
अनमान कचन वनाम शपु लरका का

पूर्वकी प्रा. पत्र 68/2019 के लागू बलव  
किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। एव

इस प्रकार से कापीवाही इसी अतर पर लागू  
किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस प्रबेण

पत्र को प्रबेण पत्र 68/2019 के लागू बलव  
किया जाये। प्रा. पत्र पत्र 68/2019 का निर्याप

इस प्रबेण पत्र में भी प्रमानी रहेगा। इस  
प्रबेण पत्र की गणना निरिधि में की जाये।

अनमान शपु लरका के लागू बलव  
आदेश सुले न्यायालय में लुकाया गया।



(सजम सुन्दर विस्नोई)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
जिला मगद (राज.)